न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रमेश चंद जाटव उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रेवई 1/2 भाग, ग्राम रेवई, तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली जिला करौली (राज.) – प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 16.02.2021 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली मुकदमा नं. 127/2020 उनवानी सरकार बनाम रमेशचंद जाटव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेवई 1/2 भाग जिसकी रूह से अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर 1000/– रुपये अमानता राशि जब्त की गई है, के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत

निर्णय दिनांक 26.08.2021

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राशन डीलर की शिकायत होने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय जांच दल दिनांक 08.12.2020 तथा पुनः दिनांक 02.02.2021 एवं 03.02.2021 को जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर का खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासन की श्रेणी में होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत होकर मई 2016 से नवम्बर 2020 तक लगातार कुल 2505 किलोग्राम गेंहू एवं 07 किलोग्राम दाल का उठाव किया जाना, श्री अशोक कुमार के राशन कार्ड में उसके पुत्र सुलक्ष के नाम के सामने स्वयं के पुत्र अमन कुमार का आधार सीडिंग कर, अमन कुमार के बायोमैट्रिक सत्यापन कर 10 बार गेंहू कुल मात्रा (220 किलो ग्राम) एवं 4 बार केरोसीन कुल (14 ली. केरोसीन) का उठाव अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा किया गया है जिसके कारण अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 16.02.2021 को निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलाण्ट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेवई 1/2 भाग का अधिकृत राशन डीलर वर्ष 1997 अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र नं. 1221/97 दिनांक 06.06.1997 है। अपीलाण्ट करीब 24 साल से उक्त कार्य कर रहा है। अपीलाण्ट की कोई शिकायत राशन कार्ड चयनित लाभार्थियों द्वारा उक्त अवधि में नहीं की गई है। राशनधारी आज भी अपीलाण्ट के वितरण कार्य से संतुष्ट है। प्रमाण में अपील के साथ राशन कार्ड धारियों के बयानों की फोटो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हैं। अपीलाण्ट द्वारा वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकार पर पी.डी.एस. कण्ट्रोल आदेश के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन किया हुआ था जिसका फोटो अपीलाण्ट ने जवाब दिनांक 04.01.2021 के दिवस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य ऑनलाइन पोस मशीन के माध्यम से किया गया है। पोश मशीन में स्टॉक व वितरण के इन्द्राज हैं। अपीलाण्ट को अलग से कोई स्टॉक रजिस्टर पोश मशीन से वितरण चालू होने पर रखने का आदेश जिला रसद अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्टॉक की अवशेष राशन सामग्री अधिकृत डीलर

जिला कलक्टर
करौली

कप्तानसिंह ग्राम पंचायत रेवई 1/2 भाग को संभलवा दिया है जिसमें जांच में अनाधिकार रूप से बतायी गई चीनी 19.100 किलोग्राम सम्मिलित है, जिसकी रसीद अपीलाण्ट ने जवाब के साथ दिनांक 04.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड अभियान के अंतर्गत सीडिंग का कार्य नियमित रूप से किया है। जांच में बतायी गई 413 पी.एन.डी. में मृतक शादीशुदा लड़कियां व बच्चे जिनके आधार कार्ड नहीं हैं, वह हैं जिसकी सूचना अपीलाण्ट द्वारा सुरेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक को दे दी गई है तथा कुछ राशन कार्ड अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान क्षेत्र के नहीं हैं जिसकी सूचना प्रवर्तन निरीक्षक को पूर्व में ही दी गई है। अपीलाण्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण में कोई अनियमितता व कालाबाजारी नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनाधिकार तौर पर विधि विरुद्ध रूप से अपने निर्णय में अपीलाण्ट द्वारा अनियमितता किया जाना व कालाबाजारी व राशन सामग्री का दुरुपयोग मानते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो रिकॉर्ड के विपरीत है और निर्णय दिनांक 16.02.2021 अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी रेस्पोण्डेण्ट निरस्त किये जाने योग्य है। जांच रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 को आधार बनाकर यह जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट के परिवार का राशन कार्ड उसके माता पिता के नाम रहा है और उक्त राशन कार्ड पर उसके माता पिता द्वारा उठायी गई राशन सामग्री की कीमत अपीलाण्ट के द्वारा राशि राजकोष में जमा करायी जा चुकी है जिससे लाइसेन्स की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई अनुचित लाभ राशि जमा हो जाने से अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ है। इस आधार पर कानूनू अपीलाण्ट का लाईसेन्स निरस्त नहीं किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अपने निर्णय में विधि विरुद्ध रूप से अंकित कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट का परिवार व अशोक कुमार का परिवार वर्ष 2017 तक शामिल रहा है और एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। वर्ष 2016 से 2017 तक स्वयं अशोक कुमार ने स्वयं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाया था जिसमें अपीलाण्ट के पुत्र को अशोक कुमार द्वारा ही स्वयं के बाहर रहने के कारण अपीलाण्ट के लड़के अमन कुमार का आधार सीडिंग कराया था और अशोक कुमार ने वर्ष 2016 से अगस्त 2017 तक राशन सामग्री अपीलाण्ट के पुत्र के जरिये कुटुम्बी होने से राशन सामग्री का उठाव कराकर राशन सामग्री अशोक कुमार ने प्राप्त की है और दिनांक 04.08.2020 को जमीन का विवाद मुकदमा न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन में वर्ष 2017 में धारा 53, 88, 188 घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलाण्ट्स व अन्य सहखातेदार के विरुद्ध प्रस्तुत करने के बाद अपना नाम खाद्य सुरक्षा से स्वयं ने उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन से आदेश क्रमांक 1324 से हटवाया है जिसमें अपीलाण्ट की कोई भूमिका नाम जुड़वाने व हटवाने में नहीं रहा है। मुकदमा आज भी एस.डी.ओ. हिण्डौन में विचाराधीन है और यह शिकायत अशोक कुमार व उसके पिता श्रीफल ने साज कर अपीलाण्ट के विरुद्ध बिना नाम से रंजिश के कारण की है। अशोक कुमार के पिता श्रीफल द्वारा भी वर्ष 2017 में ही अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के पुत्रों के विरुद्ध भूमि के विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन में धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट के तहत उनवानी श्रीफल बनाम रमेशचंद वगै. प्रस्तुत कर रखा है। अशोक कुमार व श्रीफल, पुत्र व पिता दोनों अपीलाण्ट से रंजिश रखते हैं और इन दोनों ने ही अपीलाण्ट के विरुद्ध गलत शिकायत की है जबकि राशनकार्डधारी ग्राम रेवई 1/2 के किसी राशनकार्डधारी की अपीलाण्ट के विरुद्ध वर्ष 1997 से आज दिवस तक अपीलाण्ट के वितरण के संबंध कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की 14, 17(6), 18 का उल्लंघन नहीं किया है। यह तथ्य प्रवर्तन निरीक्षक अमित कुमार, पवन कुमार, सुनीता मीना द्वारा निराधार दर्ज किये हैं। जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2020 में जांच अधिकारी द्वारा 19.100 किलोग्राम चीनी कम होना व गेंहू 160.20 क्विंटल के

जिला कलक्टर
करौली

स्थान पर 159.84 क्विंटल गेंहू होना, गलत दर्ज किया। दिनांक 08.12.2020 को पूर्ण स्टॉक राशन डीलर दुकान में उपलब्ध रहा है। फर्द मौका के कोरे कागज पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर कराये हैं। दिनांक 17.12.2020 को अटैच डीलर कप्तानसिंह को निलंबन आदेश दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त होने पर शेष राशन सामग्री संभलवा कर रसीद प्राप्त की है। यह तथ्य जांच अधिकारी द्वारा राशनकार्डधारियों द्वारा डीलर के वितरण से शिकायत नहीं होना, बयान करने के बाद डीलर के विरुद्ध गलत तौर पर कार्यवाही करने की बदनियति से जानबूझकर दर्ज किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा राशन सामग्री का कोई दुरुपयोग व कालाबाजारी नहीं की है और जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 12.03.2021 को अपीलाण्ट द्वारा डी.एस.ओ. कार्यालय में उपस्थित होकर जांच कार्यवाही निलंबन में साक्ष्य देने की जिला रसद अधिकारी करौली से कहने पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपीलाण्ट से निर्णय दिनांक 16.02.2020 को हो जाना बताने पर अपीलाण्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नकल आवेदन करने पर दिनांक 31.03.2021 को नकलें प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 16.02.2021 व फर्जी तैयार की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 08.12.2020 की जानकारी हुई है। दिनांक 16.02.2020 के निर्णय की कोई सूचना अपीलाण्ट को दिनांक 12.03.2021 तक रेस्पोण्डेण्ट द्वारा नहीं दी गई है। दिनांक 16.02.2020 से दिनांक 12.03.2021 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि तहसील हिण्डौन की ग्राम पंचायत रेवई भाग 1/2 के उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव के विरुद्व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली के समक्ष प्राप्त शिकायत एवं श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा उक्त राशन डीलर की शिकायत की जांच के संबंध में दिये गये निर्देशों की पालना में जिला रसद अधिकारी, करौली के साथ श्री सुरेन्द्र सिंह मीना प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन ग्रामीण, श्री हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन शहर एवं श्री अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 08.12.2020 को ग्राम रेवई स्थित उचित मूल्य दुकान पर पहुंच कर जांच की गयी। जांच के दौरान के दौरान निम्न स्थिति पायी गयी–

1. उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव का राशनकार्ड संख्या 200002887117 एपीएल श्रेणी का है। जो कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पाया गया जिसमें अप्रेल 2020 से पूर्व 10 यूनिट थी। वर्तमान में 07 यूनिट दर्ज है।
2. उचित मूल्य दुकानदार के दो पुत्र श्री देवेन्द्र एवं श्री जितेन्द्र सरकारी सेवा में है। इन दोनों पुत्रों व बडी पुत्रवधु का नाम अप्रेल 2020 से राशनकार्ड से पृथक करवा दिया गया। जांच के दौरान राशन डीलर द्वारा पुत्रों के सरकारी सेवा में पदस्थापन के नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं करवाये गये परन्तु पूछताछ में राशन डीलर द्वारा बयान में एक पुत्र को वर्ष 2013 में एवं दुसरे पुत्र को निरीक्षण दिनांक से 08–09 माह पूर्व सरकारी सेवा में पदस्थापित होना बताया।
3. उचित मूल्य दुकानदार सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन में C श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार है जिनका निवास पक्का पाया गया एवं एक बोलेरो गाडी सं **RJ 34 UA** 3215 तथा एक ट्रैक्टर उनके नाम पंजीकृत तथा इनके अलावा एक अन्य अपंजीकृत पुराना ट्रैक्टर पाया गया।

जिला कलक्टर
करौली

4. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्वयं के राशनकार्ड पर मई 2016 से नवम्बर 2020 तक लगातार कुल 2505 किलोग्राम गेंहू एवं 07 किलोग्राम दाल का उठाव करना पाया गया।
5. मौके पर उचित मूल्य दुकान एफपीएस कोड 18997 की जांच करने पर उचित मूल्य दुकान पर पीडीएस कन्ट्रोल आदेश 2015 के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, माह दिसम्बर 2020 का स्टॉक अपडेट नहीं कर वितरण शुरू नहीं करना एवं वन नेशन वन राशनकार्ड कार्यक्रम के तहत 413 आधार सीडिंग पेण्डेन्सी होने के बावजूद भी सीडिंग कार्य नहीं करना पाया गया।
6. वक्त जांच पोश मशीन सं. 18997 में अवशेष स्टॉक 160.14 क्वि. गेंहूं, 100 किलो चना एवं 66.6 किलोग्राम चीनी दर्ज पायी गयी। उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर प्लास्टिक व जूट बारदाने के सील पैक एफसीआई मार्का वाले कुल 311 कट्टे (औसत वजन 50 किलोग्राम प्रति कट्टा) एवं खुला गेंहू जिसे तौलने पर 434 किलोग्राम गेंहू इस प्रकार कुल 159.84 क्विं. गेंहू एवं 47.500 किलोग्राम चीनी पायी गयी। इस प्रकार जांच के दौरान कुल 19.1 किलोग्राम चीनी कम पायी गयी।

इस प्रकार जांच के दौरान पायी गयी उक्त अनियमितताओं पर ग्राम पंचायत रेवई भाग 1/2 के उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव का प्राधिकार पत्र कार्यालय आदेश कमांक 1454-60 दिनांक 10.12.2020 द्वारा निलम्बित किया गया। श्री रमेश चंद जाटव द्वारा स्वयं के राशनकार्ड सं. 200002887177 पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत निष्कासन श्रेणी में होने के बावजूद तथ्य छुपाकर गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने पर श्री रमेश चंद जाटव को उठायी गयी राशन सामग्री की रिकवरी राशि जमा कराने का आदेश कमांक 7107-7109 दिनांक 10.12.2020 जारी किया गया। राशन डीलर द्वारा जारी उक्त राशन सामग्री की रिकवरी राशि जमा कराने के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.12.2020 को चालान संख्या 45406981 द्वारा रिकवरी राशि 68055 रूपये राजकोष में जमा करवायी गयी। राशन डीलर श्री रमेश चंद जाटव को राशन संबंधी अनियमितताओं के लिए नोटिस कमांक 7110 दिनांक 10.12.2020 जारी किया गया। राशन डीलर द्वारा उक्त अनियमितताओं के संबंध में जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अपना जबाव दिनांक 04.01.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पीडीएस कन्ट्रोल आदेश के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाना, राशन वितरण का कार्य आनलाईन पोस मशीन के माध्यम से करना जिसमें स्टॉक का इन्द्राज होना, जांच के दौरान कम पायी गयी 19.1 किलोग्राम चीनी अटैच राशन डीलर श्री कप्तानसिंह ग्राम पंचायत रेवई को सम्भलाना एवं वन नेशन वन राशनकार्ड कार्यक्रम के तहत 413 आधार सीडिंग पेण्डेन्सी में मृतक, शादीशुदा एवं बच्चे जिनके आधारकार्ड नहीं है, की संख्या होना बताया, जिसकी सूचना प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन को दिया जाना बताया गया।

श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 02.02.2021 को पुनः उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव की प्राप्त शिकायत की विस्तृत जांच करने के निर्देश प्रदान किये गये। निर्देशों की पालना में गठित जांच दल जिसमें श्रीमती सुनीता मीना प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन, श्री अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा एवं श्री पवन कुमार प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के वितरण क्षेत्र में पहुंच कर दिनांक 02.02.2021 एवं 03.02.2021 को जांच की गयी। जांच के दौरान निम्न अनियमितताए पायी गयी-

जिला कलक्टर
करौली

1. शिकायत में अंकित श्री अशोक कुमार का नाम फर्जकारी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मे जुड़वाकर लाभ प्राप्त करने के संबंध में जांच करने पर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्रीफल के नाम एपीएल श्रेणी का राशन कार्ड 20000289135O जारी पाया गया जो कि वर्तमान मे खाद्य सुरक्षा योजना मे चयनित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश क्रमांक 1324 दिनांक 04.08.2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक कर दिया गया था परन्तु उक्त राशन कार्ड सितम्बर 2016 से अगस्त 2017 तक खाद्य सुरक्षा में चयनित था एवं उक्त अवधि में इस राशन कार्ड पर 10 बार गेंहू कुल मात्रा (220 किलो ग्राम) एवं 4 बार केरोसीन कुल (14 ली. केरोसीन) का उठाव किया गया है। श्री अशोक पुत्र श्रीफल मौके पर उपस्थित नहीं मिले। जानकारी करने पर इनका बाहर रहना बताया। ई.पी.डी.एस. पोर्टल पर उक्त राशन कार्ड की जांच करने पर उक्त राशन कार्ड में कुल 4 सदस्यों में से 1 सदस्य सुलक्ष के आगे आधार कार्ड नम्बर ग्गग ग्गग 3897 सीड पाया गया। उक्त आधार कार्ड श्री अमन कुमार पुत्र श्री रमेशचंद जाटव, रेवई, करौली के नाम जारी पाया गया। उक्त राशन कार्ड पर इसी आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा राशन प्राप्त किया गया है।
2. शिकायत में अंकित बिन्दु संख्या 4 की जांच के क्रम में डीलर के वितरण क्षेत्र मे रेवई, रामखिलाडीकापुरा, बिहारी का पुरा गांव/ढाणी शामिल हैं। जांच दल द्वारा तीनों गांव/ढाणी में मौके पर पहुंच कर खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों को बुलबाकर पूछताछ करने पर उपभोक्ताओं द्वारा निम्न राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये अर्जुनलाल जाट पुत्र श्री रामप्रसाद (007647200279), कप्तान पुत्र सजनी (007647300587), रनवीर पुत्र मंगती (007647200272), विक्रम पुत्र बुद्दि (007647300258), बजरंग पुत्र बुद्दि (007647700253), कृपा देवी पत्नि वीरसिंह (007647300681), देवेन्द्र चौधरी पुत्र कुम्हेरसिंह (007647300457), नबावसिंह पुत्र विकम (007647300684), निरी पत्नि समंदर (007647300225), श्रीफल पुत्र सुक्की (007647300356), मोहनसिंह पुत्र श्रीफल (007647300365), रविन्द्र पुत्र रामचंद (007647300073), सुआ पुत्र रामचरण (007647300686), सोनाराम पुत्र सोहन (007647300678), बनबारी पुत्र रामकिशन (007647600389), मुन्ना पुत्र सुक्की (200002788424), लच्छो पत्नि कुम्हेर (007647300680), शारदा पत्नि देवस्वरूप (007647300176), चेतराम पुत्र मंगल (007647300095), सुफेदी पत्नि भंवर (007647300139), रामस्वरूप पुत्र घीसन्या (007647200271), कौशल्या पत्नि शिवदास (007647300243), सतीश पुत्र रामस्वरूप (007647300099), रामदास (200001457930), विश्राम पुत्र रामस्वरूप (007647300098), मगनवाई पत्नि भरती जाटव (007647300140), अशोक पुत्र भगत (007647300151), सोहनसिंह पुत्र पूरन (007647300461), चैनसिंह पुत्र हरीसिंह (007647300260, 007647300257), हेमसिंह पुत्र रघुवीर (007647300020, 007647300578), शिचवरण पुत्र नाहरसिंह (007647300509), रमेश पुत्र नाहरसिंह (007647300183), भगवानसहाय पुत्र जगनलाल शर्मा (007647200273), सोमेन्द्र पुत्र राजाराम (007647300185), निर्भय पुत्र बनेसिंह (007647300477), सोहन पुत्र बनेसिंह (007647300476), जगदीश पुत्र बनेसिंह (007647300475), क्षमा पत्नि धर्मवीरसिंह (007647300432), नाहरसिंह पुत्र धर्मसिंह (007647300166), विजेन्द्र पुत्र रामखिलाडी (007647300431), गुडडी पत्नि मुकेश (007647002048), नीलम पत्नि दिनेश (007647300471), विमला पत्नि सुरेश (007647200278) एवं सभी उपभोक्ताओं ने पूछताछ बयान में उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेशचंद जाटव द्वारा प्रति माह नियमानुसार वितरण करना एवं डीलर के वितरण कार्य एवं व्यवहार से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होना बताया तथा डीलर श्री रमेशचंद जाटव एवं उसके चाचाजी के पारिवारिक जमीन विवाद के कारण उक्त शिकायत का किसी के द्वारा करना बताया।

जिला कलक्टर
करौली

3. शिकायत में बिन्दु संख्या 6 राशन डीलर के पिताजी श्री प्रभातीलाल व भाई सुरेश के राशन कार्डों की जांच करने पर डीलर के पिताजी का नाम राशन कार्ड संख्या 200002575974 में दर्ज है जो निरी के नाम जारी है। उक्त राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में चयनित है जिस पर राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है। निरी के बारे मे जानकारी करने पर उचित मूल्य दुकानदार ने इसे अपने भाई की विधवा बताया एवं गांव में पूछताछ करने पर कुछ ने इसे विधवा एवं कुछ ने परित्यक्ता बताया। श्री सुरेश पुत्र प्रभाती का राशन कार्ड नम्बर 200002887597 जो कि वर्तमान मे अबेयन्स में है, इस पर किसी भी राशन सामग्री का ऑनलाइन उठाव नहीं किया गया है।
4. शिकायत में बिन्दु संख्या 7 पर अंकित बीपीएल लाभार्थी नम्बर 6879301 दीना पुत्र विशन्या जाटव निवासी रेवई के बारे में पूछताछ करने पर उपस्थितों ने उक्त व्यक्ति एवं इसके परिवार को पिछले 10–15 वर्ष से गांव में निवासरत नहीं होना एवं श्री दीना को जेल में होना बताया।

उक्त जांच रिपोर्ट में श्री अमन कुमार पुत्र श्री रमेश चंद जाटव उचित मूल्य दुकानदार, रेवई द्वारा स्वयं का आधारकार्ड अवैध तरीके से श्री अशोक कुमार के राशनकार्ड संख्या 200002891350 में जोड़कर बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा 220 किलो ग्राम गेंहू एवं 14 लीटर केरोसीन का उठाव कर उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग करने पर रिकवरी राशि जमा कराने के लिए पत्र क्रमांक 2071 दिनांक 10.02.2021 जारी किया गया जिसकी पालना में श्री रमेश चंद जाटव राशन डीलर द्वारा दिनांक 11.02.2021 को चालान संख्या 47400495 द्वारा रिकवरी राशि 6990 रूपये राजकोष में जमा करवायी गयी।

उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 में संलग्न फर्द मौका दिनांक 08.12.2020 जिस पर राशन डीलर के हस्ताक्षर है, में अंकित अनियमितताओं के आधार पर नोटिस दिनांक 10.12.2020 दिया गया परन्तु राशन डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 04.01.2021 उत्तरदिनांकित सोच से प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा अनियमितताओं को स्वीकार नहीं करना तथा राशन डीलर श्री रमेश चंद जाटव द्वारा स्वयं के राशनकार्ड सं. 200002887177 पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत निष्कासन श्रेणी में होने के बावजूद तथ्य छुपाकर गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर उठायी गयी राशन सामग्री की रिकवरी राशि दिनांक 15.12.2020 को चालान संख्या 45406981 द्वारा रिकवरी राशि 68055 रूपये राजकोष में जमा करवाना एवं श्री अमन कुमार पुत्र श्री रमेश चंद जाटव उचित मूल्य दुकानदार, रेवई द्वारा स्वयं का आधारकार्ड अवैध तरीके से श्री अशोक कुमार के राशनकार्ड संख्या 200002891350 में जोडकर बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा 220 किलोग्राम गेंहू एवं 14 लीटर केरोसीन का उठाव कर उक्त राशन सामग्री का दुरुपयोग करने पर रिकवरी राशि श्री रमेश चंद जाटव राशन डीलर द्वारा दिनांक 11.02.2021 को चालान संख्या 47400495 द्वारा रिकवरी राशि 6990 रूपये राजकोष में जमा करवाये जाने से राशन डीलर श्री रमेश चंद जाटव ग्राम पंचायत रेवई भाग 1/2 के द्वारा उक्त अनियमितताऐं की जाकर राशन सामग्री का दुरुपयोग एवं कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर के विरुद्ध के विरुद्ध जिला कलक्टर करौली के समक्ष प्राप्त शिकायत एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा उक्त राशन डीलर की शिकायत की जांच के संबंध में दिये गये निर्देशों की पालना में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय जांच दल दिनांक 08.12.2020 को अपीलार्थी राशन डीलर की जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर का एपीएल श्रेणी का राशनकार्ड संख्या 200002887117 खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित

जिला कलक्टर
करौली

पाया गया जिसमें अप्रेल 2020 से पूर्व 10 यूनिट थी एवं बाद में 07 यूनिट दर्ज है। अपीलार्थी राशन डीलर के दो पुत्र श्री देवेन्द्र एवं श्री जितेन्द्र सरकारी सेवा में है। इन दोनों पुत्रों व बडी पुत्रवधु का नाम अप्रेल 2020 से राशनकार्ड से पृथक करवा दिया गया। जांच के दौरान राशन डीलर द्वारा पुत्रों के सरकारी सेवा में पदस्थापन के नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं करवाये गये परन्तु पूछताछ में राशन डीलर द्वारा बयान में एक पुत्र को वर्ष 2013 में एवं दुसरे पुत्र को निरीक्षण दिनांक से 08-09 माह पूर्व सरकारी सेवा में पदस्थापित होना बताया। अपीलार्थी राशन डीलर सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन में C श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार है जिनका निवास पक्का पाया गया एवं एक बोलेरो गाडी सं **RJ 34 UA** 3215 तथा एक ट्रैक्टर उनके नाम पंजीकृत तथा इनके अलावा एक अन्य अपंजीकृत पुराना ट्रैक्टर पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासन की श्रेणी में होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत पाया गया जो कि केन्द्र सरकार की गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराये जाने की योजना का दुरुपयोग है। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्वयं के राशनकार्ड पर मई 2016 से नवम्बर 2020 तक लगातार कुल 2505 किलोग्राम गेंहू एवं 07 किलोग्राम दाल का उठाव किया गया है जिसकी रिकवरी राशि 68055/- रुपये अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा चालान संख्या 45406981 द्वारा दिनांक 15.12.2020 को राजकोष में जमा करवायी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर का स्वयं का खाद्य सुरक्षा योजना में चयन गलत है एवं खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेंहू का गलत उठाव किया जाना, अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत तथ्य है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 413 आधार सीडिंग की पेण्डेन्सी होना भी स्वीकृत तथ्य है। दिनांक 08.12.2020 के फर्द मौका से यह स्पष्ट है कि वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 19.100 किलोग्राम चीनी कम पायी गई जो बाद में अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा अटैच डीलर को सुपुर्द की गई है। शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 02.02.2021 को पुनः उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद जाटव की प्राप्त शिकायत की विस्तृत जांच करने के निर्देशों की पालना में गठित जांच दल द्वारा अपीलार्थी राशन डीलर के वितरण क्षेत्र में पहुंच कर दिनांक 02.02.2021 एवं 03.02.2021 को जांच की गयी। वक्त जांच श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्रीफल के नाम एपीएल श्रेणी का राशन कार्ड 200002891350 उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश क्रमांक 1324 दिनांक 04.08.2020 द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक कर दिया गया था परन्तु उक्त राशन कार्ड सितम्बर 2016 से अगस्त 2017 तक खाद्य सुरक्षा में चयनित था एवं उक्त अवधि में इस राशन कार्ड पर 10 बार गेंहू कुल मात्रा (220 किलो ग्राम) एवं 4 बार केरोसीन कुल (14 ली. केरोसीन) का उठाव किया गया है। ई.पी.डी.एस. पोर्टल पर उक्त राशन कार्ड की जांच करने पर उक्त राशन कार्ड में कुल 4 सदस्यों में से 1 सदस्य सुलक्ष के आगे आधार कार्ड नम्बर xxxx xxxx 3697 सीड पाया गया। उक्त आधार कार्ड श्री अमन कुमार पुत्र श्री रमेशचंद जाटव, रेवई, करौली के नाम जारी पाया गया। उक्त राशन कार्ड पर इसी आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा राशन प्राप्त किया गया है। उक्त राशन कार्ड पर अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा गलत उठाव की गई राशन सामग्री की रिकवरी राशि 6990/- रुपये भी अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दिनांक 11.02.2021 को चालान संख्या 47400495 द्वारा रिकवरी राशि 6990 रुपये राजकोष में जमा करवायी गयी है। चूंकि वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत राशनकार्ड में आधार सीडिंग का कार्य राशन डीलरों द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रकार श्री अशोक कुमार के राशन कार्ड में उसके पुत्र सुलक्ष के नाम के सामने अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्वयं के पुत्र का आधार सीडिंग किया जाना एवं राशन सामग्री का उठाव किया जाना गंभीर अनियमितता है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्वयं के राशन डीलर होने का

जिला कलक्टर
करौली

गलत फायदा उठाया गया है। इसलिये हम अपील, अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 16.02.2021 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली